HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15517/2025

1. Deva Ram S/o Shri Ganpat Ram, Aged About 28 Years, Amli Police Station Sanchore District Jalore Rajasthan (At Present Lodged At Sub Jail Sanchore Dist. Jalore)
2. Jabra Ram S/o Pratapa Ram, Aged About 22 Years, Amli Police Station Sanchore District Jalore Rajasthan (At Present Lodged At Sub Jail Sanchore Dist. Jalore)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ripudaman Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

24/02/2026

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना सांचौर, जिला जालोर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 455/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **140(3), व 70(1) भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व पीड़िता पूर्व परिचित हैं। पीड़िता विवाहित व दो बच्चों की मां है, जिसकी उम्र 27 वर्ष है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण देवाराम पुत्र गणपतराम की उम्र 28 वर्ष व जबराराम पुत्र प्रतापाराम की उम्र 22 वर्ष है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ 140(3), 70(1) के दंडनीय अपराध का आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। पीड़िता ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है, किंतु ऐसा कोई वीडियो

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद नहीं हुआ है न ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत आरोप–पत्र पेश किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व पीड़िता के मध्य घटना के पूर्व व घटना के बाद भी फोन पर बातें हुई हैं, जिसका जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 12.11.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 12.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. देवाराम पुत्र गणपतराम 2. जबराराम पुत्र प्रतापाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 455/2025, पुलिस थाना साचौर, जिला जालौर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय

प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्तगण की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उन्हें बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

(ASHUTOSH KUMAR),J

6-Nitin Jagtiani/-